

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 जून 2013

क्र. एफ 01-01-2013-सात-शा. 6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, देवास जिले की तहसील बागली की सीमाएं, उसमें से, तहसील बागली के राजस्व वृत्त उदयनगर के पटवारी हल्का क्रमांक 38 से 81 (कुल 44 पटवारी हल्के) अपवर्जित करते हुए परिवर्तित करती है, तथा राजस्व वृत्त उदयनगर के पटवारी हल्का क्रमांक 38 से 81 (कुल 44 पटवारी हल्के) को समाविष्ट करते हुए, नवीन तहसील उदयनगर का सृजन करती है, जिसमें कुल 44 पटवारी हल्के होंगे तथा 99 ग्राम होंगे। उक्त तहसील का मुख्यालय उदयनगर में होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 17 जून 2013

पृ. क्र. एफ 01-01-2013-सात-शा. 6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ 01-01-2013-सात-शा. 6, दिनांक 17 जून 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 17th June 2013

No.F-1-1-2013-VII-6.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, alter the limits of Bagli Tehsil of district Dewas from the date of publication of this order in the official Gazette by excluding therefrom Patwari Halka No. 38 to 81 (total 44 Halkas) of Revenue Circle, Udaynagar of Tehsil Bagli and creates a new Tehsil Udaynagar comprising of Patwari Halka No. 38 to 81 (Total 44 Halkas) of Revenue Circle, Udaynagar, in which the total Patwari Halkas shall be 44 and Village shall be 99. The headquarter of the said Tehsil shall be at Udaynagar.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
R. K. CHATURVEDI, Principal Secy.

भोपाल, दिनांक 12 जून 2013

एफ. क्र. 15-25-2013-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निदेश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम (मजरा) के लिए कॉलम (3) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे:—

अनुसूची

तहसील : शुजालपुर		जिला : शाजापुर
क्र.	ग्राम का नाम एवं प. ह. नं.	अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम
(1)	(2)	(3)
1	01. मूल ग्राम—अवन्तिपुरा 02. नवीन ग्राम—गिगलाखेड़ी प.ह.नं. 60.	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला शाजापुर.
2	01. मूल ग्राम—मगरोला 02. नवीन ग्राम—मायापुर प.ह.नं. 08.	
3	01. मूल ग्राम—रायपुर 02. नवीन ग्राम—खेड़ा बोल्दा प.ह.नं. 07.	
तहसील : शाजापुर		जिला : शाजापुर
4	01. मूल ग्राम—पिन्दोनिया 02. नवीन ग्राम—खेड़ा पिन्दोनिया प.ह.नं. 42.	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला शाजापुर.
5	01. मूल ग्राम—खेड़ा 02. नवीन ग्राम—खेड़ा पहाड़ प.ह.नं. 40.	
तहसील : मोमन बड़ोदिया		जिला : शाजापुर
6	01. मूल ग्राम—दुधाना 02. नवीन ग्राम—चक दुधाना प.ह.नं. 27.	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला शाजापुर.
7	01. मूल ग्राम—मोहना 02. नवीन ग्राम—बनबोर प.ह.नं. 03.	

(1)	(2)	(3)
8	01. मूल ग्राम—चौमा	अधीक्षक, भू-अभिलेख,
	02. नवीन ग्राम—चौमा डाक बंगला	(नियमित)
	03. नवीन ग्राम—नया चौमा	जिला शाजापुर.
	प.ह.नं. 06.	

तहसील : सुसनेर**जिला : शाजापुर**

9	01. मूल ग्राम—सोयतखुर्द	अधीक्षक, भू-अभिलेख,
	02. नवीन ग्राम—अमानपुरा	(नियमित) जिला शाजापुर.
	03. नवीन ग्राम—बिकपुरा	
	प.ह.नं. 11.	

तहसील : कालापीपल**जिला : शाजापुर**

10	01. मूल ग्राम—बेहरावल	अधीक्षक, भू-अभिलेख,
	02. नवीन ग्राम—सुरतीपुरा	(नियमित) जिला शाजापुर.
	प.ह.नं. 14.	

तहसील : आगर**जिला : शाजापुर**

11	01. मूल ग्राम—बाजना	अधीक्षक, भू-अभिलेख,
	02. नवीन ग्राम—बाजना का खेड़ा	(नियमित)
	प.ह.नं. 28.	जिला शाजापुर.

12	01. मूल ग्राम—फतेहपुर मेढकी	
	02. नवीन ग्राम—मानाखेरी	
	प.ह.नं. 28.	

13	01. मूल ग्राम—हड़ाई	
	02. नवीन ग्राम—कबीर खेड़ा	
	प.ह.नं. 13.	

14	01. मूल ग्राम—पालड़ा	
	02. नवीन ग्राम—सुल्तानपुरा	
	03. नवीन ग्राम—बुढ़ाडूंगर (लाला का खेड़ा)	
	प.ह.नं. 22.	

तहसील : गुलाना**जिला : शाजापुर**

15	01. मूल ग्राम—सुन्दरसी	अधीक्षक, भू-अभिलेख,
	02. नवीन ग्राम—भेरूपुरा	(नियमित)
	03. नवीन ग्राम—रतनपुरा	जिला शाजापुर.
	04. नवीन ग्राम—डूंगरपुरा	
	05. नवीन ग्राम—कल्याणपुरा	
	06. नवीन ग्राम—हापाखेड़ा	
	प.ह.नं. 34.	

(1)	(2)	(3)
तहसील : बड़ोद		जिला : शाजापुर

16	01. मूल ग्राम—बरखेड़ी बड़ोद	अधीक्षक, भू-अभिलेख,
	02. नवीन ग्राम—बरखेड़ी खुर्द	(नियमित) जिला शाजापुर.
	प.ह.नं. 09.	

17	01. मूल ग्राम—खेड़ा नरेला	
	02. नवीन ग्राम—खेड़ा चौहान	
	प.ह.नं. 13.	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 12 जून 2013

क्र. एफ 15-25-2013-सात-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-25-2013-सात-6, दिनांक 12 जून 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

Bhopal, the 12th June 2013

F. No. 15-25-2013-Seven-6.—In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the new revenue village (Majra-tola) & original revenue village mentioned in column (2) of the Schedule below by the officer mentioned in column (3) thereof :—

SCHEDULE**Tahsil : Shujalpur****District : Shajapur**

S. No.	Name of original village	Designation of the Officer authorized to prepare record of rights
--------	--------------------------	---

(1)	(2)	(3)
1	01. Org. Vill.—Avantipura	Superintendent of Land
	02. New Vill.—Giglakhedi	Records (permanent),
	P.H.No.—60.	District—Shajapur.
2	01. Org. Vill.—Magrola	
	02. New Vill.—Mayapur	
	P.H.No.—08.	
3	01. Org. Vill.—Raipur	
	02. New Vill.—Kheda Bolda	
	P.H.No.—07.	

(1)	(2)	(3)
Tahsil : Shajapur		District : Shajapur
4	01. Org. Vill.—Pindonia 02. New Vill.—Kheda (Pindonia) P.H.No.—42.	Superintendent of Land Records (permanent), District—Shajapur.
5	01. Org. Vill.—Kheda 02. New Vill.—Kheda Pahad P.H.No.—40.	

Tahsil : Moman Badodiya		District : Shajapur
6	01. Org. Vill.—Dudhana 02. New Vill.—Chak Duhana P.H.No.—27.	Superintendent of Land Records (permanent), District—Shajapur.
7	01. Org. Vill.—Mohna 02. New Vill.—Banbor P.H.No.—03.	
8	01. Org. Vill.—Chauma 02. New Vill.—Chauma Daak 03. New Vill.—Naya Chauma P.H.No.—06.	

Tahsil : Susner		District : Shajapur
9	01. Org. Vill.—Soyatkhard 02. New Vill.—Amanpur 03. New Vill.—Bikpura P.H.No.—11.	Superintendent of Land Records (permanent), District—Shajapur.

Tahsil : Kalapipal		District : Shajapur
10	01. Org. Vill.—Behrawal 02. New Vill.—Surtipura P.H.No.—14.	Superintendent of Land Records (permanent), District—Shajapur.

Tahsil : Agar		District : Shajapur
11	01. Org. Vill.—Bajana 02. New Vill.—Bajana ka Kheda P.H.No.—28.	Superintendent of Land Records (permanent), District—Shajapur.
12	01. Org. Vill.—Fatehpur Mendki 02. New Vill.—Manakheri P.H.No.—28.	
13	01. Org. Vill.—Hadie 02. New Vill.—Kabirkheda P.H.No.—13.	
14	01. Org. Vill.—Palda 02. New Vill.—Sultanpura 03. New Vill.—Budadugar (Lala ka Kheda) P.H.No.—22.	

(1)	(2)	(3)
Tahsil : Gulana		District : Shajapur
15	01. Org. Vill.—Sundersi 02. New Vill.—Bherupura 03. New Vill.—Dungra 04. New Vill.—Kalyanpura 05. New Vill.—Hapakheda P.H.No.—34.	Superintendent of Land Records (permanent), District—Shajapur.

Tahsil : Barod		District : Shajapur
16	01. Org. Vill.—Barkhedi Barod 02. New Vill.—Barkhedi Khurd P.H.No.—09.	Superintendent of Land Records (permanent), District—Shajapur.
17	01. Org. Vill.—Kheda Narola 02. New Vill.—Kheda Chohan P.H.No.—14.	

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
ASHOK GUPTA, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 12 जून 2013

एफ. क्र. 15-26-2013-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निदेश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम (मजरा) के लिए कॉलम (3) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे:—

अनुसूची

तहसील : उदयपुरा		जिला : रायसेन
क्र.	ग्राम का नाम एवं प. ह. नं.	अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम
(1)	(2)	(3)
1	01. मूल ग्राम—पड़राई 02. नवीन ग्राम—बूढ़ा प.ह.नं. 69.	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला रायसेन.
तहसील : बेगमगंज		जिला : रायसेन
2	01. मूल ग्राम—सुनवाह 02. नवीन ग्राम—गोरखी प.ह.नं. 55.	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला रायसेन.

(1) (2) (3)
तहसील : बाड़ी जिला : रायसेन

- 3 01. मूल ग्राम—गाजीखेड़ी अधीक्षक, भू-अभिलेख,
02. नवीन ग्राम—सिलगोना टोला (नियमित) जिला रायसेन.
प.ह.नं. 29.

तहसील : सिलवानी जिला : रायसेन

- 4 01. मूल ग्राम—तीरथपुर अधीक्षक, भू-अभिलेख,
02. नवीन ग्राम—रम्पुरा दाखली (नियमित) जिला रायसेन.
प.ह.नं. 02.

तहसील : बाड़ी जिला : रायसेन

- 5 01. मूल ग्राम—शाहपुर अधीक्षक, भू-अभिलेख,
02. नवीन ग्राम—मादाटोला (नियमित) जिला रायसेन.
03. नवीन ग्राम—भगवंतपुरा
प.ह.नं. 13.

- 6 01. मूल ग्राम—मुशकाबाद
02. नवीन ग्राम—शक्तिटोला
प.ह.नं. 08.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 12 जून 2013

क्र. एफ 15-26-2013-सात-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-26-2013-सात-6, दिनांक 12 जून 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

Bhopal, the 12th June 2013

F. No. 15-26-2013-Seven-6.—In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the new revenue village (Majra-tola) & original revenue village mentioned in column (2) of the Schedule below by the officer mentioned in column (3) there of:—

SCHEDULE

Tahsil : Udaypura District : Raisen

S. No.	Name of original village	Designation of the Officer authorized to prepare record of rights
--------	--------------------------	---

- | (1) | (2) | (3) |
|-----|---|---|
| 1 | 01. Org. Vill.—Padarai
02. New Vill.—Buda
P.H.No.—69. | Superintendent of Land Records (Regular),
District—Raisen. |

(1) (2) (3)
Tahsil : Beganganj District : Raisen

- 2 01. Org. Vill.—Sunwaha Superintendent of Land
02. New Vill.—Gorkhi Records (Regular),
P.H.No.—55. District—Raisen.

Tahsil : Badi District : Raisen

- 3 01. Org. Vill.—Ganji Khedi Superintendent of Land
02. New Vill.—Silgona Tola Records (Regular),
P.H.No.—29. District—Raisen.

Tahsil : Silwani District : Raisen

- 4 01. Org. Vill.—Tirathpur Superintendent of Land
02. New Vill.—Rampura Dakhli Records (Regular),
P.H.No.—02. District—Raisen.

Tahsil : Raisen District : Raisen

- 5 01. Org. Vill.—Shahpur Superintendent of Land
02. New Vill.—Madatola Records (Regular),
03. New Vill.—Bhagvantpur District—Raisen.
P.H.No.—13.

- 6 01. Org. Vill.—Mushkabadi
02. New Vill.—Shaktitola
P.H.No.—08.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
ASHOK GUPTA, Addl. Secy.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 10 जून 2013

फा. क्र. 3(बी)1-2012-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 26), राज्य शासन, श्री ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला पिता श्री राम सुफल शुक्ला को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला इलाहाबाद है. उसकी जन्मतिथि 01 अक्टूबर, 1981 है.

फा. क्र. 3(बी)1-2012-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 60), राज्य शासन, श्री चन्द्रशेखर राठौर पिता श्री नंदराम राठौर को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर)